कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 140 / 12-1 : देहरादूनःदिनांकः 19 जुलाई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पयेजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना। (Online Proposal No. FP/UK /WATER/41575/2019)

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/09/44/2020/एफ0सी0/135 दिनांक 20–05–2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चाही गई वॉछित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 20/12–1 दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	State Government may submit the land schedule of civil soyam land in length and width format.	बिन्दु सख्या 1 के अनुपालन में लैन्ड शैड्यूल (सिविल एवं सोयम भूमि) की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–1)**
2	It is submitted that all the muck will be utilized but muck disposal plan is not countersigned be DFO. State Government may clarify this and submit the muck disposal plan duly countersigned by the DFO.	मलवा निस्तारण प्रमाण–पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कर दिया गया हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्न–2)**
3	Comments of DFO against para-6 i.e. 'Brief note on vulnerability of the forest area to erosion' seem is not provided. State Government may provide the appropriate comments against the para 6 of Part II online.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन पैरा–6 भाग–2 में संशोधन कर दिया गया है।
4	Plantation scheme not found uploaded. State Government may upload the plantation scheme of planting 359 trees in online portal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षारोपण प्राक्कलन को ऑनलाईन भाग–2 के अतिरिक्त दस्तावेज में अपलोड कर दिया गया है तथा वृक्षारोपण प्राक्कलन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–3)**
5	Comments against para 6 i.e. 'Breif note on vulnerability of the forest area to erosion' seems inappropriate. State Government may provide the appropriate comments against the	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन पैरा 06 भाग–02 में संशोधन कर दिया गया है।

	para 6 of Part II online.	
6	It is seems from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted. Logically, the CA stipulated should be double the are fo forest land diverted and the disparity, if any is required to be clarified suitably.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन पैरा–14 भाग–2 में district profile को संशोधित कर दिया गया है।
7	Two components i.e. construction fo Tank and pipeline is mentioned in the component wise breakup at para B2.4 of part-I but component i.e. (i) construction of intake, (ii) treatment plant MPS, reservoir, (iii) Staff quarter, (iv) pipeline and (v) sign board are mentioned in the component wise breakup submitted with the hard copy of the proposal. State Government may clarify this discrepancy.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण (प्रारूप–31) को संशोधित कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–4)**
8	The forest land involved is mentioned as 0.20 ha instead of 0.359 ha in para 3 & 5of the sub divisional level committee proceedings.	Sub divisional level committee proceedings (प्रारूप–30.2) मे परियोजना के क्षेत्रफल को संशोधित करते हुए 0.20 है0 के सीन पर 0.359 है0 कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–5)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एंव नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)

संख्या– 140 / **12-1** **दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकार, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, घनसाली टिहरी गढवाल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एंव नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–1800890915(टोल फ्री)

Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 20 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 01 / 07 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.350 है0 का वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को 30 वर्षों की लीज पर लिये जाने के संबन्ध में। **(Online proposal no:- FP/UK/WATER/41575/2019)**

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक– 2571/ FP/UK/WATER/41575/2019, दिनांक 03.06.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार के द्वारा किंचित बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक–4212/12–1, दिनांक–12.06.2025 से प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड
देहरादून 284
पंजीका सं0 12–1
प्राप्ति दिनांक 10-07-25

भवदीय

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।
28/06/025

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी टिहरी गढ़वाल
आवश्यक कार्यवाही करें

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

PCCF / Nodal officer
FC, Dehradun.
10/07/2025

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन / फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल
:dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 4212 / 12–1 नई टिहरी, दिनांक– 12-06-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 है0 का वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को 30 वर्षो की लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में। (Online No-FP/UKWATER/41575/2029)**

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 2571/FP/UKWATER/41575/2029, दिनांक–03.06.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक–20.05.2020 से प्रश्नगत प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण कर आख्या याचक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–413 / 410 / 08 दिनांक–26.05.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	State government may submit the land schedule of civil soyam land in length and witdth format.	लैन्ड शैड्यूल (सिविल एवं सोयम भूमि) की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–01)**
2	It is submitted that all the muck will be utilized but muck disposal plan is not countersingned by DFO. State Government may clairfy this and submit the muck disposal plan duly countersigned by the DFO.	मलबा निस्तारण प्रमाण पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–02)**
3	Comments of DFO against para-6 i.e. 'Brief not on vulnerablity of the forest area to erosion' seem is not provided. State Government may provide the approriate comments against the para-6 of Part II online.	ऑनलाईन पैरा–06 भाग–02 में संशोधन कर दिया गया है।
4	Plantation scheme not found uploaded. State Government may upload the plantation scheme of planting 359 trees in online portal.	वृक्षारोपण प्राक्कलन को ऑनलाईन भाग–02 के अतिरिक्त दस्तावेज में अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–03)**
5	Comments against para-6 i.e. 'Brief not on vulnerability of the forest area to erosion' seem inapproriate. State Government may provided the appropriate comments against the para-6 of Part II Online.	ऑनलाईन पैरा–06 भाग–02 में संशोधन कर दिया गया है।
6	It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted. Logically, the CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be Clarified suitably.	ऑनलाईन पैरा–14 भाग–02 में district profile को संशोधित कर दिया गया है।
7	Two componets i.e. construction of Tank and pipeline is mentioned in the components wise breakup at para B 2.4 of part-I but 5 componets i.e contruciton of intak, (ii) treatment plant MPS, Rerservior, (iii) staff quarter, (iv) pipeline and (v) sign board are mentioned in the component wise breakup submitted with the hard copy of the proposal State Government may clarify this discrepancy.	प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण **(प्रारूप–31)** को संशोधित कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–04)**

प्राप्ती पत्र 6660 12-7 दिनांक 26/06/2025

8	The forest land involed is mentioned as 0.20 ha. Instead of 0.359 ha. in para 3 & 5 of the sub-diviosional level committee proceedings.	Sub-diviosional level committee (प्रारूप–30.2) में परियोजना के संशोधित करते हुये 0.20 है0 के स्थान है0 कर दिया गया है। जिसकी प्रति (संलग्नक–05)

अतः प्रश्नगत परियोजना में इंगित कमियों का ऑनलाईन व ऑफलाईन निराकरण कर आख संलग्नक 04 प्रतियों (एक मूल प्रति सहित) में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, घनसाली, (टिहरी गढवाल)–249155 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

26/6/15

वन विभाग
प्राप्ति..................
पत्रावली..............
दिनांक..................
उत्तराखण्ड

परियोजना का नाम:– चमियाला पंम्पिग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना ।

प्रारूप – 15

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एंव सोयम भूमि)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लॉक	नगर पंचायत	ग्राम	खसरा संख्या	कुल रकवा (हे0)	अर्जित कुल रकवा (वर्ग मी0)	परियोजना की लम्बाई (मी0 में)	चौडाई मी0 में	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
सिविल एंव सोयम	टिहरी गढवाल	बालगंगा	भिलगंना	चमियाला	लाटा पटटी केमर खाता खतौनी संख्या 17	909	0. 269 म.	1590 sqm	837	1.90	0.159
		योग									0.159 हे0

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी घनसाली

ह0/–
(राजस्व विभाग)

23/12/2024
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र–चमियाला
तहसील–बालगंगा टि0 ग0

17-Jan-25
तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढवाल।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

23/12/24
Executive Engineer
Construction Division
Uttaranchal Payjal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T...

प्रारूप – 16

परियोजना का नाम :– ई0ए0पी0 के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य। परियोजना की लम्बाई– चौडाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौडाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	50	40	0.20
2	सिविल सोयम भूमि	837	1.90	0.159
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	-	-	-
	वन भूमि का योग	-	-	-
5	नाप भूमि	-	-	-
	कुल योग –			**0.359**

ह0/–
(राजस्व विभाग)
राजस्व उप निरीक्षक
Tehl(h)
18/06/2025

Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payjal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.G.)

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payjal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.G.)
प्रयोक्ता ऐजेन्सी

उप जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:– चमियाला पंम्पिग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना ।

प्रारूप – 24

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 21 न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वृक्षों का पातन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, घनसाली, टि0गढ0।
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payjal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.G.)

प्रभागीय वनाधिकारी
नई टिहरी वनप्रभाग,
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा चमियाला
चमियाला, टि0ग0

परियोजना का नाम:– चमियाला पंम्पिग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे0 आरक्षित वन / सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना ।

प्रारूप–24

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड भिलंगना की चमियाला पंम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि योजना के निर्माण में 21 वृक्षों का पातन हो रहा है ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा / निर्माण शाखा,
जल निगम, घनसाली, टि0ग0।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.G.)

प्रभागीय वनाधिकारी
नई टिहरी वनप्रभाग,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा चमियाला

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा रेंज
चमियाला टि0ग0

प्रपत्र– [redacted] 30.2

परियोजना का नाम :– ई0ए0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगर पचांयत चमियाला पम्पिंग पे0यो0** निर्माण हेतु 0.20 है0 आरक्षित वन भूमि 0.159 है0 सिविल एवं सायेम भूमि 0.00 है0 वन पचायत भूमि, अर्थात कुल 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड एजेन्सी के पत्र में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–घनसाली) की दिनांक 24/6/11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष।
2. श्री बलवीर प्रसाद बधानी उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य।
3. श्री सतवीर सिंह पंवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य/सचिव।
4. ~~श्री विजय [illegible] ब्लॉक प्रमुख भिलंगना~~ श्रीमती [illegible] पंवार न० पं० अध्यक्ष — सदस्य। सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक मे स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना मे राज्य योजना के अन्तर्गत **नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0** के निर्माण हेतु परियोजना हेतु 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पंचायत चमियाला के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित नगर पंचायत चमियाला द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है। समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि उक्त अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत चमियाला/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक मे सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.359 है0वन भूमि पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल.

उप जिलाधिकारी

पत्रांक :– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल.

उप जिलाधिकारी
घनसाली

प्रारूप — 31

प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पंम्पिग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य।

जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड में प्रस्तावित नगर पंचायत चमियाला पंम्पिग पे0यो0 के नव निर्माण हेतु परियोजना कार्य का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0सं0	निर्माण कार्य	आवश्यक भूमि (है0)
01	जलाशय।	0.20
02	पाईप लाईन।	0.159

कनिष्ठ अभियन्ता
पेयजल निगम, घनसाली

सहायक अभियन्ता
पेयजल निगम, घनसाली

अधिशासी अभियन्ता
पेयजल निगम, घनसाली

359 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि का प्राकल्लन

कार्य का नामः– चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना हेतु अग्रिम मृदा कार्य करना।

रेंज का नामः– बालगंगा रेंज, चमियाला।

प्रभाग का नामः– टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

हस्तान्तरित वन भूमि का क्षे0फ0– है0। | वर्ष :– 2025–26।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि (रू0 में)
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य करना।	1	हे0	741.00	हे0	741.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की सफाई, घास व झाडी कटान एवं नष्ट करना।	1	हे0	8138.00	हे0	8138.00
3	पत्थरो की कुली दीवाल बनाना। (150 X 0.60+0.45/2 X 1.20) = 94.50m³	1	हे0	83662.00	हे0	83662.00
4	वनीकरण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में दो पंक्ति में जैविक घेरबाड़ कार्य। (तीन बल्ब प्रति मीटर)।		प्रति दो पंक्ति 100 बल्ब	1406.52	प्रति दो पंक्ति 100 बल्ब	6329.34
5	वृक्षारोपण कार्य करने हेतु गड्ढे खुदान कार्य करना मय संरेखण एवं चिन्हीकरण। (0.30×0.30×0.45)	359	गड्ढे	17.81	गड्ढे	6393.79
6	कंकड–पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान करना। (0.30×0.30×0.45)	359	गड्ढे	3.06	गड्ढे	1098.54
7	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्रा0 प्रति गड्ढा) जैविक खाद/जीवामृत/ कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित।	359	पौध	2.02	पौध	725.18
8	निरीक्षण बटिया बनाना।	1	हे0	1639.20	हे0	1639.20
9	पौधरोपण कार्य करना	359	पौध	5.75	पौध	2064.25
10	वृक्षारोपण हेतु पौधों की कीमत (2 वर्ष की तैयार की गई पौध)	359	पौध	30.10	पौध	10805.90
11	पौधों का ढुलान	359	पौध	17.78	पौध	6383.02
12	पौधों की निराई, गुडाई, मल्चिंग व थावलाबन्दी करना (प्रथम व द्वितीय बार)	359	पौध	14.06	पौध	5047.54
13	पौधों के थावलों (गड्ढे में) रासायनिक खाद डालना।	359	पौध	2.02	पौध	725.18
14	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास–फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे0	643.46	हे0	643.46
15	स्टेगर्ड कन्टूर फरों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)।	100	प्रति फर	1.78	प्रति फर	178.00
16	स्टेगर्ड कन्टूर फरों का खुदान (3.00x0.45x0.30)	100	प्रति फर	171.59	प्रति फर	17159.00
17	कन्टूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सें0मी0 ऊपर उठाकर भरान कर दबाना तथा जमाना (3.00 X 0.45 X 0.30)	100	प्रति फर	13.00	प्रति फर	1300.00
18	पौधो की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	9	माह	1284.40	माह	11559.60
19	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करना (जलकुण्ड/चहल निर्माण, गली प्लगिंग, आर0आर0 ड्राई चैक डैम निर्माण करना)	1	जॉब	L.S	जॉब	450000.00
20	निकटवर्ती जल स्त्रोत (अधिकतम 02 कि0मी0 की परिधि में) से वनीकरण की सिंचाई एवं चाल–खाल भरने हेतु पी0वी0सी0 पाईप के माध्यम से पानी की व्यवस्था।	1000	प्रति 100 मी0	100.00	प्रति 100 मी0	100000.00
21	अन्य प्रकीर्ण व्यय (POL, बीज बोना, पानी की व्यवस्था, वृक्षारोपण हेतु साइन बोर्ड/टोकरी/रस्सी, औजार तेज कराई, मूल्यांकन, आदि)।	1	हे0	4000.00	हे0	4000.00

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा राजि, चमियाला
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

	अनुरक्षण प्रथम वर्ष					
1	पौधो की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	12	माह	1284.40	माह	15412.80
2	पौधों की निराई, गुडाई व मल्चिंग कार्य	359	पौध	2.28	पौध	818.52
3	क्षतिपूर्ति रोपण कार्य 10 प्रतिशत					0.00
3.1	पौध की कीमत	36	पौध	30.10	पौध	1083.60
3.2	पौध का ढुलान	36	पौध	17.78	पौध	640.08
3.3	गड्ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावलाबन्दी कर रोपण कार्य करना।	36	पौध	28.64	पौध	1031.04
4 i	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास–फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे0	643.46	हे0	643.46
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 5 मी. चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	1	हे0	379.60	हे0	379.60
	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	पौधो की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	12	माह	1284.40	माह	15412.80
2	पौधों की निराई, गुडाई व मल्चिंग कार्य	359	पौध	2.28	पौध	818.52
3 i	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास–फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे0	643.46	हे0	643.46
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 5 मी. चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	1	हे0	379.60	हे0	379.60
	अनुरक्षण तृतीय वर्ष					
1	पौधो की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	12	माह	1284.40	माह	15412.80
2	पौधों की निराई, गुडाई व मल्चिंग कार्य	359	पौध	2.28	पौध	818.52
3 i	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास–फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे0	643.46	हे0	643.46
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 5 मी. चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	1	हे0	379.60	हे0	379.60
					कुल योग–	**773110.86**
					या–	**769337.00**

नोट :– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून आदेश सं0–क–1191/3–5–2 (एफ.सी.) दिनांक 26.03.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए रिक्त पड़े स्थान/100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु0–2143.00 रू0 प्रति वृक्ष निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए रिक्त पड़े स्थान/100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु0–2143.00 रू0 प्रति वृक्ष के अनुसार निकाली जा रही है।

100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि :–	359	x	2143.00	=	₹ 7,69,337.00

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा रेंज, चमियाला
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।